Date
15/04/2020

Subject - Gender, School & Society
UNIT - 5th
Topics - Gender, Sexuality, Sexual Harassment and Abuse

B.Ed. 2nd year
Period - 4th

मानव अधिकार

सामान्यतः अधिकार ऐसे संसाधन हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इनका आधार है हमारे मौलिक अधिकार या मानव अधिकार जिनकी सहायता से हम अपनी आध्यात्मिक, भौतिक तथा अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इनके अन्तर्गत हमें अनेक अधिकार प्राप्त हैं। संक्षिप्त में -
"मानव अधिकार मानव के जीवन का आधार है जो उसे उसके जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। प्रत्येक संस्था तथा राष्ट्र को उसका सम्मान तथा रक्षा करना अपरिहार्य है।"

प्रजनन अधिकार (Reproductive Rights)

प्रजनन अधिकार वह कानूनी अधिकार है जो व्यक्ति को प्रजनन तथा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

प्रजनन अधिकार का सर्वप्रथम मानव अधिकार के रूप में सन 1968 में तेहरान की बैठक में किया गया। जिसके अन्तर्गत - अभिभावक को मूल मानव अधिकार है कि वे बच्चों की संख्या एवं उनके अन्तराल के लिए स्वतन्त्र हैं। व्यक्ति को परिवार नियोजन एवं सम्बन्धित यौन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
प्रजनन अधिकार के अन्तर्गत समाहित मुख्य दो बातें -
(1) गर्भपात
(2) जन्म नियन्त्रण

P.T.O

15-04-2020 10:09

यौन अधिकार

WHO के अनुसार — "यौन अधिकार मानवाधिकारो का एक आधारभूत तत्व होते है। इनमे आनन्दपूर्ण यौनिकता को अनुभव करने का भी अधिकार शामिल है जो कि स्वंय मे एक बुनियादी तत्व है और साथ ही यह लोगो के मध्य सचांर और प्रेम का बुनियादी माध्यम भी है।"

यौन अधिकारो के अन्तर्गत अधिकार :-

(1) प्रत्येक व्यक्ति यौन शिक्षा ले सकता है।
(2) अपने साथी का चयन कर सकता है।
(3) अपनी शारीरिक आवश्यकताओ के बारे मे समझ सकता है।
(4) यौन सम्बन्धो एवं विवाह पर अपनी स्वीकृति दे सकता है।
(5) व्यक्ति बच्चो की सख्या व अवधि के बारे मे निश्चत कर सकता है।
(6) सन्तोषप्रद, सुरक्षित तथा आनन्ददायक शारीरिक सम्बन्धो मे रत रहसकता है।

प्रजनन अधिकार तथा यौन अधिकार की आवश्यकता एवं महत्तव

प्रजनन एवं यौन अधिकार सृष्टि की सर्वोपरि रचना मनुष्य के लिए अपनी पीढियो के विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता एवं महत्तवता है।
इसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) **महिला सुरक्षा** :- अमानवीय व्यवहार, बलात्कार, यौन उत्पीडन जैसी समस्याओ से निपटने के लिए जो महिला सुरक्षा से सम्बन्धित है महिला कानूनी सहायता ले सकती है
(2) **स्वास्थय सुरक्षा** :- कामुकता, यौन सतांष्ट रोग (H.I.V./S.T.I.S.) हिंसा आदि समस्याएँ इन अधिकारो के अन्तर्गत शामिल है। जिनकी सुरक्षा इन अधिकारो द्वारा ही सम्भव है।
(3) **सृष्टि की गतिशीलता** :- ससार के जीवन चक्र को व्यवस्थित व सुदृढ करने के लिए प्रजनन तथा यौन अधिकारो की महत्तवपूर्ण आवश्यकता है, क्योकि स्त्री-पुरुष के सम्बन्धो के द्वारा ही सृष्टि गतिशील है।

15-04-2020 10:10

P.T.O.

(4) समायोजन की भावना का विकास :- स्त्री - पुरुष इन अधिकारों के द्वारा ही पारिवारिक जीवन यापन करने के लिए विवाह के बाद सहयोग की भावना एक - दूसरे को समझते है तथा जीवन समायोजित करते है। ③

(5) सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण :- नई पीढ़ी का जन्म पूर्व पीढ़ी से ही होता है। अतः उनमे निहित आदर्शों, नैतिक मूल्यों का स्थानान्तरण पीढ़ी-दर पीढ़ी होता है जिसमे इन अधिकारों का महत्वपूर्ण योगदान है।

(6) परिवर्तन :- यौन अधिकारों की जानकारी मिलने के बाद समाज मे वृहत परिवर्तन हुए है। राष्ट्र मे सभ्य व शिक्षित नागरिकों का विकास हुआ है।

(7) अज्ञानता का उन्मूलन :- लोगों की यौन सम्बन्धी अनेकों भ्रान्तियों व यौन घटनाओ को रोका गया है

(8) सशक्तीकरण :- इन अधिकारों के द्वारा स्त्रियां, समाज, एवं राष्ट्र सभी का पक्ष मजबूत एवं सशक्त हुआ है।

यौन एवं प्रजनन अधिकारों के बीच सम्बद्धता :-

यौन एवं प्रजनन अधिकारों की सम्बद्धता को निम्न आधार पर समझा जा सकता है -

(1) दोनो ही मानव - अधिकार के प्रत्यय है।

(2) दोनो ही अधिकार व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्रदान करते है।

(3) दोनो का ही वैधानिक रूप है।

(4) दोनो ही अधिकारो का क्षेत्र मुख्यतः चार तथ्यो से सम्बद्ध है

(i) यौन सम्बन्धी स्वास्थय

(ii) यौन सम्बन्धी अधिकार

(iii) प्रजनन सम्बन्धी अधिकार

(iv) प्रजनन अधिकार

चारो का क्षेत्र अलग है लेकिन आन्तरिक रूप से सम्बन्धित है।

Continue ----

Nidhi Tyagi
B.R. College

15-04-2020 10:10